



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-campa@gov.in, Phone No. 0651-2481466



पत्रांक : 19M(04)C(19-20)- 543

दिनांक : 26/10/2019

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/ देवघर वन प्रमण्डल, देवघर/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/ कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा/ गुमला वन प्रमण्डल, गुमला/ राँची वन प्रमण्डल, राँची/ सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा।

विषय :- झारखण्ड कैम्पा वार्षिक कार्य योजना 2019-20 अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली "एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना" के अंतर्गत कुल 686.344 लाख (छः करोड़ छियासी लाख चौतीस हजार चार सौ रुपये) मात्र का ऑन लाईन उप-आवंटन (Online Sub- Allotment)।

प्रसंग:-

1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 49 दिनांक 24.10.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 99/आ0 दिनांक 25.10.2019।
2. इस कार्यालय का पत्रांक 453 दिनांक 16.08.2019 एवं पत्रांक 535 दिनांक 21.10.2019

महाशय,

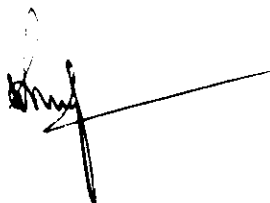
उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 04-वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष -103- राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, उप शीर्ष- 04-एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न कार्यों हेतु अनुमान्य देय राशि उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 686.344 लाख (छः करोड़ छियासी लाख चौतीस हजार चार सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240604103040103	267.713
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240604103040323	418.631
कुल :-		686.344

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने अधीनस्थ कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी एवं इस कार्यालय को समर्पित करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार परियोजना की विवरणी अनुलग्नक-2 एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. भारत सरकार के पत्रांक 11-100/2015-FC(Vol.III) दिनांक 05.04.2019, पत्रांक 11-100/2015-FC(Vol.III) दिनांक 26.06.2019 एवं पत्रांक 4-64/2018-NA दिनांक 01.10.2019 द्वारा प्रदत्त निदेशानुसार पूर्व से संचालित वृक्षारोपण योजनाओं की माह अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक के समयबद्ध संपोषण कार्यों की अनुमान्य देय राशि वन प्रमण्डल पदाधिकारी राँची वन प्रमण्डल

4. इस योजना के उपरोक्त कोड संख्या को कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किये जायेंगे।
5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची होंगे जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, झारखण्ड, राँची द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
6. योजना का कार्यान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची से सम्बन्धित स्वीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ही प्रारम्भ किया जायेगा।
7. योजना का कार्यान्वयन स्थल विशेष स्वीकृत प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जाएगा। संबंधित सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपने अधीनस्थ वन प्रमण्डलों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने की सूचना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड एवं इस कार्यालय को दी जायेगी। संबंधित नियंत्री पदाधिकारी यह लगातार समीक्षा कर सुनिश्चित करेंगे कि राशि की निकासी एवं व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
9. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पांच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं हो तथा निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हो।
13. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही हो। साथ ही, सामग्री की राशि का भुगतान विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा



क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM या निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

16. किसी भी तरह का भुगतान सिर्फ बैंक खाता में ट्रान्सफर के माध्यम से ही किया जाएगा। नगद रूप से राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी कि किसी ऐसी योजना जिसके विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, अगर किसी दूसरे श्रोत से भी राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, वैसी स्थिति में इसकी राशि की निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना नियंत्री पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

18. प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 एवं प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली-2018 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रमण्डलीय मासिक लेखा एवं वर्गीकृत मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

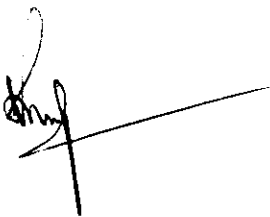
20. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

21. कैम्पा के तहत संचालित योजनाओं की वांछित सूचनाओं (यथालागू तकनीकी स्वीकृति से संबंधित सूचनाएं और Geo-coordinated Point & Polygon, जो भी लागू हो, सहित) को e-green watch portal पर अपलोड किया जायेगा।

22. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियमावली, 2018 में निहित निम्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 330 दिनांक 29.08.2018 एवं पत्रांक 503 दिनांक 24.09.2019 द्वारा भेजी गयी है—

(a) NPV & Penal NPV में संदर्भित कार्य, यदि वनभूमि पर किये जाते हैं तो वे कार्य नियोजना (Working Plan) के अनुसार किये जायेंगे।

(b) परंतु यह कि वे कार्य, जो कार्य नियोजना के अनुसार ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति के परामर्श से सम्पादित किये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और इसके तहत जारी दिशा-निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।



- (c) परंतु यह कि वे कार्य, जो अनुमोदित कार्य नियोजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं, यथालागू ग्राम सभा अथवा ग्राम वन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से सम्पादित कराये जायेंगे तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों और उसके अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों, जहाँ कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
26.10.2019
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 19M(04)C(19-20)- 543 दिनांक- 26/10/2019

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ दुमका/ हजारीबाग/ राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/ देवघर/ हजारीबाग/ गुमला/ राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

26.10.2019
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 19M(04)C(19-20)- 543 दिनांक- 26/10/2019

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ देवघर/ हजारीबाग/ कोडरमा/ गुमला/ डोरण्डा, राँची/ सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

26.10.2019
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड कैम्पा

वार्षिक कार्य योजना 2019-20 उपशीर्ष "04-एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना"

(मजदूरी दर : रू0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि रू0 लाख में)

क्रम संख्या	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	वित्तीय लक्ष्य		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
1	2	3	4	5
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	9.475	14.213	23.688
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	80.888	121.335	202.223
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	30.019	45.029	75.048
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	19.981	29.971	49.952
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	60.000	90.000	150.000
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	18.146	27.220	45.366
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	1.133	18.756	19.889
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	48.071	72.107	120.178
	सकल योग	267.713	418.631	686.344



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
26/10

झारखण्ड कैम्पा

वित्तीय वर्ष 2019-20 में "04-एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना" उप शीर्ष के अन्तर्गत परियोजनाओं की विवरणी।

क्रम संख्या	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	परियोजना का नाम	अपयोजित वन भूमि (हे०)	भारत सरकार का स्वीकृतादेश एवं दिनांक	परियोजना की (लाख में) राशि
1	2	3	4	5	6
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	न्यू बी०जी० रेलवेलाइन (कोडरमा-गिरिडीह)	93.950	F. No. 8-90/2003-FC dt. 11.12.2003	47.375
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	डी०आर०डी०ओ०	516.670	F. No. 8-41/2010-FC dt. 17.07.2012	400.000
		ई०सी०एल०- चीतरा ओपेन काष्ठ कोलियेरी	124.280	F. No. 8-79/2007-FC dt. 10.07.2019	194.565
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	नव निर्मित बी०जी० रेलवेलाइन हजारीबाग से बरकाकाना	153.913	F. No. 8-44/2003 FC dt. 01.04.2004	99.904
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	नव निर्मित बी०जी० रेलवेलाइन हजारीबाग से बरकाकाना (हजारीबाग पश्चिमी प्रमण्डल के पक्ष में स्वीकृत)	As per Sl. No. 3	F. No. 8-44/2003 FC dt. 01.04.2004	150.096
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	कोडरमा-गिरिडीह रेलवे परियोजना	25.100	F. No. 8-90/2003 FC dt. 03.05.2005	200.000
		कोडरमा-तिलैया (नवादा) न्यू बी०जी० रेलवेलाइन	101.455	F. No. 8-33/2008 FC dt. 12.06.2008	100.000
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	132 के०भी० गुमला-सिमडेगा ट्रांसमिशन लाइन	5.759	FP/JH/Trans/17610/ 2011/1680 dt. 10.11.2017	90.732
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	नव निर्मित बी०जी० रेलवेलाइन राँची से बरकाकाना	373.600	F. No. 8-131/2003-FC dt. 18.07.2007	65.421
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	राँची (बेड़ो)-धर्मजयगढ़ 765 के०भी० ट्रांसमिशन लाइन	73.490	F. No. 8-131/2003-FC dt. 18.07.2007	240.356
	सकल योग				1588.449

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
कैम्पा, झारखण्ड, राँची।
26/10



आवंटन आदेश

अनुलग्नक - 3

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 19M(04)C(19-20)/543

दिनांक - 26-Oct-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240604103040103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	69849	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	947,500.00 रुपये नौ लाख सैतालीस हजार पाँच सौ
	State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA			
2	S 19 240604103040103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	69850	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO. DEO FOR.DIV.DEO.	8,088,800.00 रुपये अस्सी लाख अठ्यासी हजार आठ सौ
	State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA			
3	S 19 240604103040103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना 01 - बेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	69851	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	3,001,900.00 रुपये तीस लाख एक हजार नौ सौ
	State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA			

12,038,200.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ बीस लाख अठ्तीस हजार दो सौ

(SANJAY SRINIVASTAVA)

ADDL PCCF, CAMPA, JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240604103040103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	69852	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	1,998,100.00 रुपये उन्नीस लाख अठानवे हजार एक सौ
	State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA			
5	S 19 240604103040103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	69854	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	6,000,000.00 रुपये साहठ लाख
	State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA			
6	S 19 240604103040103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	69855	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	1,814,600.00 रुपये अठारह लाख चौदह हजार छः सौ
	State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA			

योग:

9,812,700.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड अठारह लाख पचास हजार नौ सौ

21,850,900.00

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDL.PCCF,CAMPA JHARKHAND

RANC

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240604103040103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	69857	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	113,300.00 रुपये एक लाख तेरह हजार तीन सौ
	State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA			
8	S 19 240604103040103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	69858	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	4,807,100.00 रुपये अड़तालीस लाख सात हजार एक सौ
	State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA			
9	S 19 240604103040323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	69859	GRDFOR003 MS. MAMTA PRIYDARSHI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	1,421,300.00 रुपये चौदह लाख इक्कीस हजार तीन सौ
	State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA			

योग:

6,341,700.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड इक्क्यासी लाख बयानये हजार छः सौ

28,192,600.00

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDL PCCF, CAMPA, JHARKHAND

RANC

क्रमांक	विषय कोड	एकरोस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240604103040323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरालम्बक वनरोपण 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	69860	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	12,133,500.00 रुपये एक करोड इक्कीस लाख तैर्तास हजार पाँच सौ
	State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA			
11	S 19 240604103040323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरालम्बक वनरोपण 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	69861	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	4,502,900.00 रुपये पैतालीस लाख दो हजार नौ सौ
	State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA			
12	S 19 240604103040323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरालम्बक वनरोपण 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	69862	HZBFWL005 PATRUNI RAJENDRA NAIDU D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	2,997,100.00 रुपये उन्तीस लाख सित्तानवे हजार एक सौ
	State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA			

योग: 19,633,500.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड अठहत्तर लाख छब्बीस हजार एक सौ

47,826,100.00

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDL.PCCF,CAMPA JHARKHAND

RANC

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्यवहन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240604103040323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	69863	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	9,000,000.00 रुपये नब्बे लाख
	State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA			
14	S 19 240604103040323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	69864	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	2,722,000.00 रुपये सत्ताइस लाख बाइस हजार
	State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA			
15	S 19 240604103040323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण 04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	69866	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	1,875,600.00 रुपये अठारह लाख पचहत्तर हजार रु: सौ
	State Scheme : INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769) Central Scheme : NA			

योग:

13,597,600.00

क्रमिक योग:

रुपये छः करोड चौदह लाख तेइस हजार सात सौ

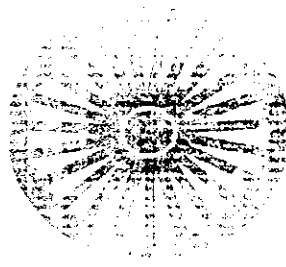
61,423,700.00

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDL PCCF, CAMPA, JHARKHAND

RANC

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240604103040323	69868	SDGFOR002	7,210,700.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	04 - वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास		PRAWESH AGRAWAL	रुपये बहत्तर लाख दस हजार सात सौ
	103 - राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण		DIVISIONAL FOREST	
	04 - एकीकृत वन्यजीव प्रबंधन योजना		OFFICER SIMD	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme :	INTEGRATED WILDLIFE MANAGEMENT PLAN(1769)		
	Central Scheme :	NA		



योग:		7,210,700.00
क्रमिक योग:	रुपये छः करोड छियासी लाख चौतीस हजार चार सौ	68,634,400.00

(SANJAY SRIVASTAVA)

ADDL PCCF, CAMPA JHARKHAND